# सराहनीय कार्य
# दिनॉक 09.09.2020
# पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

## माननीय मंत्री जी के पी0आर0ओ0 से रंगदारी व धमकी देने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

### गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मनीष कुमार मौर्या पुत्र रामगोपाल नि0 तुलसीनगर बख्सीरिया टोला थाना को0 अयोध्या जनपद अयोध्या।
02. लवकुश यादव पुत्र बाबूराम यादव नि0 टेढी पुलिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

### अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–371/20, धारा 386.506.507.120बी.419.420.201 भादवि व 66 आई0टी0एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी–

01. 02 अदद मोबाइल।

### संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.09.2020 को वादी श्री वेद प्रकाश दुबे(पी0आर0ओ0 माननीय मंत्री समाज कल्याण मंत्रालय उ0प्र0 सरकार) पुत्र श्री देवीप्रसाद दुबे नि0 नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के द्वारा सूचना दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर पैसे की रंगदारी मांगी गयी थी तथा ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज में उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने घटना का शीघ्र अनावरण करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से इलेक्ट्रानिक व अन्य साक्ष्यो के आधार पर प्रकाश में उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

### गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी नवाबगंज मय टीम।